न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 115

दायर दिनांक : 13.11.2019

भगवानदास पुत्र श्री हुणताराम जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस.एम. ढ़ाणी (हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र श्री हुणताराम जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस.एम. आबादी (हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मूलदास पुत्र श्री रामेश्वरदास जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस. एम. ढ़ाणी (हरदासवाली) हाल निवास वार्ड न. 9 नजदीक रामदेव मंदिर सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. नथूदास पुत्र श्री रामेश्वरदास जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस. एम. ढ़ाणी (हरदासवाली) हाल निवास सूरतगढ़ वार्ड न. 9 नजदीक रामदेव मंदिर सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मालदास पुत्र श्री भीखदास जाति बैरागी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम. ढ़ाणी (हरदासवाली) हाल निवास सूरतगढ़ वार्ड न. 9 नजदीक रामदेव मंदिर सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. रामप्रताप पुत्र श्री हुणताराम जाति बैरागी निवासी चक 3 बी.पी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड–प्रथम श्रीविजयनगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री भागीरथ बिशनोई, अभिभाषक प्रार्थी सं. 1
2. श्री राकेश कुमार सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़।

निर्णय **दिनांक : 28.07.2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 बी.पी.एस.एम. जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 46/43 के प.न. 173/45 का कि.न. 24 में 0.228 है. 25 में 0.228 है. = 0.456 है. कमाण्ड प.न. 173/54 का कि.न. 1 ता 15 सालम की 3.795 है. कमाण्ड प.न. 173/46 का कि.न. 4 ता 8, 15, 16 में 1.619 है. प.न. 173/47 का कि.न. 3 ता 7 में 1.088 है. कमाण्ड कुल 6.958 है. मय खाला बतौर खातेदारी दर्ज कागजात है। उक्त वर्णित रकबा में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 जबरिया तौर पर बिना सिंचाई विभाग के अनुमति के नया खाला बनाकर पानी लगाने की धमकी दे रहे है प्रार्थी वृद्ध व शांति प्रिय व्यक्ति है, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वे प्रार्थी के उक्त खातेदारी रकबा में नया खाला का निर्माण या खुदाई नहीं करें मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

लगातार पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिस पर प्रार्थी को इकतरफा तौर पर सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 11.02.2020 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड श्रीविजयनगर को पक्षकार बनाया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पक्षकार बनाया गया। दिनांक 17.07.2020 को अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि शामिल मिस्ल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र निराधार अवैधानिक व असत्य कथनों पर आधारित है मौका पर कोई विवाद नहीं है तथा विरोधाभासी तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। अप्रार्थीगण अपने खेत में कुतरी खाला से सिंचाई करते आ रहे है चुंकि कुतरी खाला से सेम आने के कारण कुतरी खाला नष्ट हो चुका है तत्पश्चात् ग्राम वासियों द्वारा अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ में एक प्रार्थना पत्र पक्का खाला निर्माण हेतू निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का सिंचाई विभाग की रिपोर्ट आने पर प्रार्थी की भूमि प.न. 173/54 का कि.न. 1 ता 5 प.न. 173/46 का कि.न. 1 ता 5 में पक्का खाला स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृत खाला के अलावा ओर कोई स्वीकृत खाला नहीं है। उक्त खाला प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुनने के पश्चात स्वीकृत प्रदान की गई है, प्रार्थी अब राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राविहीन होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र पर जो स्थगन आदेश इकतरफा तौर पर दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त किया है निरस्त फरमाया जावें।

बाद आने जवाब पक्षकारान के तर्क अभिभाषकगण सुने गये, अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमि हेतू स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है प्रार्थी के नाम से चक 1 बी.पी.एस.एम. जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता सं. 46/43 के प.न. 173/45 का कि.न. 24 में 0.228 है. 25 में 0.228 है. = 0.456 है. कमाण्ड प.न. 173/54 का कि.न. 1 ता 15 सालम की 3.795 है. कमाण्ड प.न. 173/46 का कि.न. 4 ता 8, 15, 16 में 1.619 है. प.न. 173/47 का कि.न. 3 ता 7 में 1.088 है. कमाण्ड कुल 6.958 है. मय खाला बतौर खातेदारी दर्ज कागजात है। उक्त वर्णित रकबा में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 जबरिया तौर पर बिना सिंचाई विभाग के अनुमति के नया खाला बनाकर पानी लगाने की धमकी दे रहे है पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.11.2019 को ता फैसला वाद पत्र स्थाई किया जावें।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने प्रार्थना पत्र व मौखिक कथनों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र निराधार, अवैधानिक व असत्य कथनों पर आधारित है मौका पर कोई विवाद नहीं है तथा विरोधाभासी तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

लगातार पेज 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अप्रार्थीगण अपने खेत में कुतरी खाला से सिंचाई करते आ रहे है चुंकि कुतरी खाला से सेम आने के कारण कुतरी खाला नष्ट हो चुका है तत्पश्चात् ग्राम वासियों द्वारा अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ में एक प्रार्थना पत्र पक्का खाला निर्माण हेतू निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का सिंचाई विभाग की रिपोर्ट आने पर प्रार्थी की भूमि प.न. 173/54 का कि.न. 1 ता 5 प.न. 173/46 का कि.न. 1 ता 5 में पक्का खाला स्वीकृत कर दिया गया है, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अधिषाशी अभियंता अनूपगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.03.2020 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदेन किया कि उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अधीक्षण अभियंता श्रीविजयनगर के समक्ष अपील 05/2020 प्रस्तुत कर रखी है व दिनांक 21.05.2020 को स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है इसलिये अदालत वाला के समक्ष तथ्यों को छिपाकर यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी अब राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राविहीन होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र पर जो स्थगन आदेश इकतरफा तौर पर दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त किया है निरस्त फरमाया जावें।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों पर मनन किया गया व पूर्ण ध्यान व आदर सहित प्रस्तुत न्याय निर्णयों का पठन व मनन उपरान्त विस्तृत रूप से विचारण में पाया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में विवाद का बिन्दु खाला है जिसकी बाबत प्रकरण अधीक्षण अभियंता श्रीविजयनगर के समक्ष जैरकार है व प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश भी दिनांक 21.05.2020 को प्राप्त कर रखा है, उक्त प्रकरण Irrigation And Drainage Act की तारीफ में आता है व क्षेत्राधिकार भी अधीक्षण अभियन्ता को है प्रार्थी अपनी चारा जोई उक्त कार्यालय में करें व वही से ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है राजस्व न्यायालय को सिंचाई विभाग में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.11.2019 निरस्त की जाती है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया बाद निर्णय पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: